

निदेशक, खान की अध्यक्षता में दिनांक-25.03.2026 (बुधवार) को अपराह्न 6:30 बजे से VC के माध्यम से आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- VC के माध्यम से।

समीक्षा के क्रम में VC के माध्यम से सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को निम्न बिन्दुओं पर निदेश दिए गए :-

1. समाहरण :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभाग के लिए कुल निर्धारित लक्ष्य 4756.73 करोड़ के विरुद्ध 25.03.2026 तक मात्र 327596.22 करोड़ रुपये का समाहरण प्राप्त हुआ है, जो वार्षिक लक्ष्य का प्रतिशत 68.87 है।

वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 25 मार्च, 2026 तक 70 प्रतिशत से कम समाहरण करने वाले 13 जिलों की स्थिति निम्नवत है :-

(आँकड़ा लाख रू० में)

क्र०	जिला	वार्षिक लक्ष्य (2025-26)	25 मार्च, 2026 तक का समाहरण	वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 25 मार्च, 2026 तक समाहरण का प्रतिशत (%)	लक्ष्य एवं समाहरण का अन्तर
01	भागलपुर	5629.70	3925.19	69.72	1704.51
02	रोहतास	42669.49	29734.86	69.69	12934.63
03	बेतिया	6253.53	4284.01	68.51	1969.52
04	दरभंगा	4345.77	2971.21	68.37	1374.56
05	कटिहार	5140.39	3454.64	67.21	1685.75
06	सहरसा	3479.18	2300.53	66.12	1178.65
07	सुपौल	4607.03	3031.17	65.79	1575.86
08	कैमूर(भभूआ)	4500.55	2840.85	63.12	1659.70
09	जहानाबाद	3873.97	2291.94	59.16	1582.03
10	मधुबनी	6097.62	3606.92	59.15	2490.70
11	पटना	63940.77	37571.17	58.76	26369.60
12	औरंगाबाद	51290.81	29935.05	58.36	21355.76
13	गया	27921.94	15670.96	56.12	12250.98
14	नालन्दा	7020.91	3883.06	55.31	3137.85
15	बेगूसराय	2663.23	1472.53	55.29	1190.70
16	लखीसराय	14116.21	7566.18	53.60	6550.03
17	जमुई	25095.00	13365.60	53.26	11729.40
18	सारण	8915.55	3661.84	41.07	5253.71
19	शिवहर	1853.78	718.75	38.77	1135.03
20	मुंगेर	4217.87	1397.86	33.14	2820.01
	कुल	293633.30	173684.32	59.15	119948.98

उपर्युक्त जिलों को निदेश दिया गया कि विभिन्न मदों का कार्य योजना बनाकर वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में मात्र 06 दिन शेष रह गया है। सभी जिलों को सख्त निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत अभिरुची लेते हुए लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण करना सुनिश्चित करें। साथ ही अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध प्रतिदिन छापेमारी कर नियमानुसार दंड की राशि वसूली कर लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें। निर्धारित लक्ष्य अप्राप्त रहने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

समाहरण के दृष्टिगत बड़े 05 जिलों का लक्ष्य एवं समाहरण :-

(ऑकड़ करोंड रू0 में)

क्र0	जिला का नाम	वार्षिक लक्ष्य (2025-26)	25 मार्च, 2026 तक का समाहरण	लक्ष्य एवं समाहरण का अन्तर	25 मार्च, 2026 तक लक्ष्य एवं समाहरण के अन्तर का प्रतिशत
01	भोजपुर	838.39	694.19	144.2	17.20
02	पटना	639.41	377.21	262.2	41.01
03	औरंगाबाद	512.91	299.35	213.56	41.64
04	रोहतास	426.69	299.36	127.33	29.84
05	गया	279.22	157.21	122.01	43.70

उपरोक्त 05 जिलों का वार्षिक लक्ष्य एवं समाहरण का अन्तर काफी अधिक है। निदेश दिया गया कि कार्य योजना बनाकर अगले 06 दिनों में लक्ष्य एवं समाहरण के अन्तर का शत प्रतिशत राशि की वसूली सुनिश्चित करेंगे। वित्तीय वर्ष समाप्ति में मात्र 06 दिन ही शेष है। शेष अवधि में किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य एवं समाहरण के अन्तर को पूरा करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

2. अगले सप्ताह तक राजस्व वसूली लक्ष्य की विवरणी :-

24.03.2026 तक

(राशि करोंड में)

क्र0	जिला	वार्षिक लक्ष्य (2025-26)	16 मार्च 2026 तक की उपलब्धि	अगले सप्ताह तक संभावित लक्ष्य की वसूली।
1	2	3	4	5
1	शेखपुरा	53.57	54.37	60
2	अरवल	158.13	159.13	180
3	खगड़िया	16.13	15.71	20
4	अररिया	35.03	31.16	40
5	किशनगंज	49.09	42.21	60
6	पूर्णियाँ	32.77	28.11	38
7	मोतिहारी	48.39	38.32	50
8	समस्तीपुर	51.81	40.69	50
9	भोजपुर	838.38	653.11	730
10	गोपालगंज	31.53	24.55	35
11	बक्सर	34.43	26.20	35
12	नवादा	168.73	126.10	150
13	बाँका	105.81	77.88	100
14	मुजफ्फरपुर	53.67	38.45	50
15	वैशाली	38.96	27.83	42
16	मधेपुरा	27.62	19.01	25

17	सीवान	39.04	26.35	40	
18	बेतिया	62.53	41.24	55	
19	भागलपुर	56.29	37.08	50	
20	सीतामढ़ी	37.23	23.31	45	
21	सहरसा	34.79	21.76	40	
22	दरभंगा	43.45	27.00	40	
23	कटिहार	51.40	31.82	45	
24	रोहतास	426.69	260.22	350	
25	कैमूर(भभूआ)	45.00	27.33	37	
26	जहानाबाद	38.73	21.56	32	
27	सुपौल	46.07	25.11	35	
28	पटना	639.40	344.93	445	
29	औरंगाबाद	512.90	275.04	400	
30	गया	279.21	148.03	200	
31	नालन्दा	70.20	37.21	60	
32	मधुबनी	60.97	31.71	50	
33	लखीसराय	141.16	72.92	110	
34	वेगूसराय	26.63	13.14	24	
35	जमुई	250.95	108.03	200	
36	सारण	89.15	35.66	60	
37	शिवहर	18.53	6.73	15	
38	मुंगेर	42.17	12.79	30	

निदेश दिया गया कि दिनांक 28.03.2026 तक अभियान चलाकर संभावित राजस्व प्राप्त करेंगे। विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं में कैम्प कर रॉयल्टी/मालिकाना फीस जमा कराने हेतु अभियान चलाकर राजस्व की वसूली करें।

3. कार्य विभाग से प्राप्त होने वाले राजस्व समाहरण की अद्यतन स्थिति :-

कार्य विभाग का निर्धारित लक्ष्य 1263.51 करोड़ के विरुद्ध 25 मार्च, 2026 तक का कुल समाहरण 1074.26 करोड़ है, जो लक्ष्य का 85.02 प्रतिशत है। संबंधित जिलों के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी कार्य विभागों विशेषकर पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग आदि में कैम्प कर क्रियान्वित परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिजों के बावत नियमानुसार खनिज मूल्य एवं मालिकाना फीस की राशि का कटौती सुनिश्चित कराये तथा कटौती की गई राशि को खनन शीर्ष में जमा कराये। जिलास्तरीय खनन टॉस्क फोर्स की बैठक में सभी कार्य विभागों द्वारा रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस का भुगतान की समीक्षा समाहर्ता से करायेगे।

(अनुपालन :-सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

4. बालूघाटों के नीलामी/संचालन :-

(i) राज्यान्तर्गत कुल- 463 पीला बालूघाटों में से वर्तमान में 308 बालूघाट नीलामित है एवं कार्यादेश निर्गत बालूघाटों की संख्या 181 है। वर्तमान में औरंगाबाद में 57, गया में 20, जहानाबाद में 12, पटना में 11, नवादा में 11, भोजपुर में 10, रोहतास में 08, नालन्दा में 08, जमुई में 07, लखीसराय में 05, भागलपुर में 05 एवं अरवल में 01 बालूघाट अभी भी अनिलामित हैं। बालूघाटों

की बंदोबस्ती के संबंध में बार-बार निदेशित किये जाने के बावजूद बालूघाटों की नीलामी में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। संबंधित जिलों के पदाधिकारियों को सख्त निदेश दिया गया कि अविलम्ब जिला समाहर्ता से समन्वय स्थापित कर अनीलामित बालूघाटों का निविदा आमंत्रित कर बालूघाटों की नीलामी की कार्रवाई सफलतापूर्वक सुनिश्चित करायें। साथ ही नीलामीत बालूघाटों का बंदोबस्तधारी एवं संबंधित RQP से सम्पर्क कर लंबित वैधानिक अनापत्ति यथा EC/CTE/CTO सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

(अनुपालन :- संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

5. EC प्राप्त परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की स्थिति :-

राज्य के कुल 35 बालूघाटों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुका है। जिनसे प्रथम किस्त की राशि प्राप्त की जानी है जिसमें अरवल के 5, जमुई के 5, वैशाली के 2, भोजपुर के 3, औरंगाबाद के 6, नवादा के 5, सीतामढ़ी के 2, रोहतास के 1, सुपौल के 1, किशनगंज के 1, बेगुसराय के 1, गया के 3 बालूघाट सम्मिलित है। निदेश दिया गया कि 02 दिनों के अन्दर सक्षम प्राधिकार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पंषद के समक्ष बंदोबस्तधारी/RQP से CTE/CTO प्राप्त करने हेतु आवेदन समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व संबंधित बंदोबस्तधारी से प्रथम किस्त की राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन :-संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

6. CTO निर्गत परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की स्थिति :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि औरंगाबाद जिला के 02, अरवल के 01, वैशाली के 02, बेगुसराय के 02 एवं मधेपुरा के 01 बालूघाटों का CTO निर्गत है, परन्तु प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि 03 दिनों के अन्दर लंबित राशि का भुगतान सुनिश्चित करायें।

(अनुपालन :-संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

7. प्रत्यार्पित बालूघाटों के पुनर्नीलामी की समीक्षा :-

राज्यान्तर्गत कुल प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं०-78 है, जिसमें से मात्र 12 बालूघाटों की सफल नीलामी हुई है। प्रत्यार्पित बालूघाटों की सघन जाँच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही प्रत्यार्पित बालूघाटों के Lessee का समाहर्ता के साथ बैठक कराकर समस्याओं का निराकरण करायें, ताकि राजस्व क्षति न हो।

(अनुपालन :-संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

8. वित्तीय वर्ष 2025-26 में लक्ष्य एवं समाहरण के कार्य योजना की समीक्षा :-

सहायक निदेशक एवं खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन मदों से राशि आने वाली है, उसे विशेष रूप से ध्यान देकर अविलम्ब खनन शीर्ष में जमा करायें। बालूघाटों के नीलामी/पुनर्नीलामी में व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर अविलम्ब नीलामी सफल करायें। इसी प्रकार संचालित बालूघाटों से प्राप्त होने वाली देय किस्त की राशि का ससमय भुगतान सुनिश्चित करायें। कार्य विभाग में व्यवहृत लघु खनिजों के बावत नियमानुसार खनिज मूल्य एवं मालिकाना फीस की कटौती

सुनिश्चित कराते हुए राशि को खनन शीर्ष में जमा कराये। साथ ही कार्य विभाग से प्राप्त राशि को संबंधित कोषागार से मिलान कराना सुनिश्चित करें। दण्ड मद निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रतिदिन संवेदनशील स्थलों पर छापेमारी कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर दण्ड की वसूली सुनिश्चित कराये।

(अनुपालन :-सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

9. ईट-भट्टों की भुगतान की स्थिति :-

राज्यान्तर्गत कुल ईट-भट्टों की सं०-6188 है, जिसमें से पूर्ण भुगतान ईट-भट्टों की सं०-3734 है एवं शून्य भुगतान वाले ईट-भट्टों की सं०-2175 है। इस संबंध में सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने-अपने जिलों में संचालित ईट-भट्टों का निरीक्षण कार्य पूर्ण कराकर इसी वित्तीय वर्ष के पूर्व सभी ईट भट्टों से समेकित स्वामिस्व का भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :-सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

अन्य बिन्दु :-

- (1) विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के समाप्ति में बहुत ही कम दिन शेष है। कार्य योजना के तहत शेष लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें।
- (2) संचालित बालूघाटों/प्रत्यार्पित बालूघाटों के संबंध में पहुँच पथ, विधि व्यवस्था, नो-इन्ट्री इत्यादि समस्याओं का समाधान राजस्व हित में करने का निदेश दिया गया।
- (3) सभी जिलों के प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बालूघाटों के संचालन, कार्य विभागों द्वारा खनिज मूल्य एवं मालिकाना फीस की कटौती तथा अन्य राशि की वसूली में आ रही समस्याओं को समाहर्ता के संज्ञान में आवश्यक दें।
- (4) सभी कार्य विभागों का योजनावार समीक्षा कर रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस का भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध कराये।
- (5) कार्य विभागों द्वारा व्यवहृत लघु खनिजों के एवज में नियमानुसार खनिज मूल्य एवं मालिकाना फीस के रूप में प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य का 10 प्रतिशत राशि की कटौती का मिलान एम0बी0 बुक एवं बिल बुक से अवश्य करें एवं कटौती की गई राशि को खनन शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित करें।
- (6) पटना जिला का वार्षिक लक्ष्य एवं समाहरण का अन्तर 262.20 करोड़ है, जो काफी अधिक है। उन्हें निदेश दिया गया कि संबंधित कार्य विभागों, मेट्रो, रेलवे, BSMICL एवं अन्य कार्य विभागों से समन्वय स्थापित कर तथा बालूघाटों की नीलामी एवं देय किंस्त से बचे हुए समय में प्रति सप्ताह निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित की जाए।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, पटना)

- (7) औरंगाबाद एवं भोजपुर जिला का वार्षिक लक्ष्य एवं समाहरण का अन्तर क्रमशः 213.56 करोड़ एवं 144.20 करोड़ है, जो काफी अधिक है। उन्हें निदेश दिया

गया कि सभी नीलामित बालूघाटों के देय किस्तों का भुगतान सुनिश्चित कराते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य वैधानिक अनापत्ति प्राप्त बालूघाटों से नियमानुसार बंदोबस्ती राशि प्राप्त कर लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें। साथ ही अनीलामित बालूघाटों का नीलामी सम्पन्न कराकर बंदोबस्ती राशि के प्रतिभूति राशि एवं अन्य राशि जमा कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद/भोजपुर)

- (8) रोहतास जिला का वार्षिक लक्ष्य एवं समाहरण का अन्तर 127.33 करोड़ है, जो काफी अधिक है। इस संबंध में प्रत्येक सप्ताह बैठक के क्रम में दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण काफी खेद व्यक्त किया गया एवं निदेश दिया गया कि आगामी बैठक के पूर्व बालूघाटों, खनन पट्टों तथा कार्य विभागों से अपेक्षित राशि का भुगतान सुनिश्चित कराते हुए अपने लक्ष्य को हर हालत में पूरा करें।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, रोहतास)

- (9) सभी जिलों के प्रभारी पदाधिकारी को सख्त निदेश दिया गया कि बैठक के क्रम में दिये गये आश्वासन के आधार पर संबंधित विभागों से नियमानुसार राशि की वसूली आगामी बैठक के पूर्व करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :- सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

- (10) समीक्षा के क्रम में समाहरण के संबंध में जमुई, औरंगाबाद, गया, सारण, शिवहर, लखीसराय एवं मुंगेर जिलों की स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :-अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग)

स्थापना (क्षेत्रीय) :-

- (1) विभिन्न जिलों यथा-औरंगाबाद, बक्सर, गया, जहानाबाद, मधुबनी, नालन्दा एवं रोहतास जिलों को विभागीय पत्रांक-569/एम0, दिनांक 21.01.2026 द्वारा जिला खनन कार्यालय को अविलम्ब किराये के मकान से स्थानांतरित कर सरकारी भवन में अधिष्ठापित कराने का निदेश दिया गया है। इस कार्य को अविलम्ब पूर्ण किया जाय।
- (2) विभागीय पत्रांक-577, दिनांक 21.01.2026 से दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2025 तक की अवधि में सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मि यथा श्री महेश्वर पासवान, खनिज विकास पदाधिकारी, भागलपुर, श्री भोगेन्द्र प्रसाद यादव, कार्यालय परिचारी, मधेपुरा, श्री सुशील कुमार, कार्यालय परिचारी, नवादा, श्री संतोष कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक, समस्तीपुर एवं श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, जंजीर बाहक, वैशाली के सेवान्त लाभ की प्रक्रिया को अविलम्ब निष्पादन कराना सुनिश्चित करें।
- (3) सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मियों को अनुकम्पा का लाभ प्रदान करने संबंधी विभागीय स्तर से निम्न कर्मियों यथा- स्व0 व्यास पासवान, खान निरीक्षक, स्व0 फिरोज अख्तर, लिपिक, स्व0 रोहित सुलेमान, लिपिक, स्व0 विजेन्द्र हेग्गम,

कार्यालय परिचारी एवं स्व० संत कुमार, कार्यालय परिचारी के संबंध में वांछित अभिलेख मुख्यालय को अविलम्ब भेजने हेतु निदेश दिया गया है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/—

(मनेश कुमार मीणा)

निदेशक, खान

सं०सं०:— प्र०-II-विविध(बैठक)-15/2023-...../एम०, पटना, दिनांक :-.....
प्रतिलिपि :- सभी समाहर्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के अवर सचिव

सं०सं०:— प्र०-II-विविध(बैठक)-15/2023-.....2658...../एम०, पटना, दिनांक :-.....21/04/26
प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव/अवर सचिव/विधि पदाधिकारी/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी-I, II/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०/क्ष०)/आई०टी० प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मनेश कुमार मीणा
सरकार के अवर सचिव

17.4.26